FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

लक्ष्मीनारायण **बनाम** रामबाबू एवं अन्य

किस्म मुकदमा— स्थगन प्रा.पत्र नम्बर————49————सन्— 2024

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.05.2024	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15.05.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर, दौसा	
15.05.2024	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। दिनांक 8.5.2024 को अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गई बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी विरूद्ध आदेश प्रशासन एवं स्थाई समिति पंचायत समिति महवा दिनांक 5.3.2024 जो रिमांड मुकदमा उनवानी रामबाबू बनाम लक्ष्मीनारायण के साथ यह स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा ग्राम मण्डावर में स्थित आबादी भूमि का पट्टा सं0 88 दिनांक 5.3.2002 के विरूद्ध एक मयाद बाहर अपील प्रशासन एवं स्थाई समिति पंचायत समिति महवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त अपील को स्थाई एवं प्रशासन समिति महवा द्वारा दिनांक 30.7.2013 को मयाद बाहर मानते हुए खारिज कर दी गई थी जिसके विरूद्ध श्रीमानजी के यहॉ निगरानी प्रस्तुत करने पर श्रीमानजी के द्वारा दिनांक 7.9.2015 को निगरानी स्वीकार करके प्रकरण को निर्णय में दिये अनुसार रिमांड किया गया। उक्त रिमांड पत्रावली प्रशासन एवं स्थाई समिति पंचायत समिति महवा में चल रही थी, जिस पर बिना विधिवत सुनवाई किये बिना व बिना मयाद के बिन्दु को देखे व बिना साक्ष्य एवं दस्तावेज देखे तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को देखे बिना प्रशासन एवं स्थाई समिति पचायत समिति महवा ने दिनांक 5.3.2024 को उक्त निगरानी को यह लिखते हुए कि एक ही स्थान का दुबारा पट्टा जारी करने के लिए आवेदक द्वारा तथ्य छिपा लिए है जबकि पंचायत राज अधिनियम के नियम 157(1) में एक बार किसी भी व्यक्ति के नाम पटटा के आवंटन के बाद तत्कालीन समय से पटटा अन्य किसी भी व्यक्ति को पुनः निर्धारण संभव नहीं था। अतः पटटा दिनांक 5.3.2002 खारिज योग्य है। प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया जिसके कारण अप्रार्थी प्रार्थी को उक्त निर्णय की आड में जबरन उक्त प्रार्थी के मकान से जबरन बेदखल करने पर आमादा हो रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की सूरत पैदा हो गयी है। अतः निगरानी के निर्णय तक निर्णय अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थाई समिति पंचायत समिति [illegible] दिनांक 5.3.2024 की पालना को स्थगित फरमाई जाकर अप्रार्थी को [illegible] यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमाया जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा मुख्यतः दो बिन्दुओं पर यह स्थगन चाहा गया है कि कोरम के अभाव में एवं प्रार्थी को बिना सुने दिया गया है। इस संबंध में निर्णय का अवलोकन किया गया जिसमें निम्न अंकित है:— "पत्रावली कोरम के साथ प्रस्तुत की गई।" " दोनो उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 5.3.2024 को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:30:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जरिये नोटिस तलब किया जाकर सुना गया। उभय पक्ष को सुनने के बाद तथा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से पश्चात उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा मिसल सं0 88 दिनांक 7.11.2001 पंचायत मण्डावर के संकल्प सं0 5 दिनांक 5.3.2002 नियमानुसार जारी करने हेतु दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की गई है तथा उक्त पट्टे से पूर्व भी इसी भूखंड का पट्टा भूमि विक्रय विलेख के रूप में मिसल सं. 146 दिनांक 15.7.1977 पट्टा सं0 13 दिनांक 25.3.1980 को भी धापा पत्नि बुधराम पण्डा निवासी मण्डावर के पक्ष में भी जारी किया गया है। दोनों पट्टे संदिग्ध प्रतीत होते है। ''

उक्त आदेश के अवलोकन से यह सिद्ध नहीं होता है कि प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये या बिना कोरम के आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी किसी दस्तावेज साक्ष्य से भी अपने कथन को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण यह स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज फैसल किया जाकर मूल निगरानी के शामिल रहे। खुले न्यायालय सुनाया गया।

Devendra 15/5/24

जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:30:59 IST
Reason: SelfAttested